

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी—

परशुराम धानका

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

78/2016/प्रा.पत्र/2016

19.12.2016

24.08.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1—खाद्य कारोबारकर्ता श्री जितेन्द्र गोयल पुत्र श्री रामस्वरूप गोयल उम्र 47 साल जाति महाजन निवासी सिनेमा हॉल के सामने टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स जितेन्द्र एण्ड कम्पनी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक
- 2—मैसर्स जितेन्द्र एण्ड कम्पनी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक
- 3—श्री सुनिल कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री राम प्रताप प्रोपरायटर मैसर्स एस.के. फूड्स टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर राज.
- 4—मैसर्स एस.के. फूड्स टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर राज.

..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उप.।

2—अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:-निर्णय:-

दिनांक 24.08.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.07.2016 को समय 04:30 पीएम पर मैसर्स जितेन्द्र एण्ड कम्पनी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री जितेन्द्र गोयल पुत्र श्री रामस्वरूप गोयल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जितेन्द्र गोयल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ-साथ प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 50 मूल पैक प्रत्येक 500 ग्राम पैक के लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री जितेन्द्र गोयल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ. श्री जितेन्द्र गोयल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर



विक्रेता को बताकर कि यह लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर 00264 एवं पैकिंग की दिनांक 02.03.2016 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500 ग्राम पैक के चार मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) 500 ग्राम पैक के चार मूल पैक को एक-एक नग के बराबर-बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1404 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1404 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री जितेन्द्र गोयल पुत्र श्री रामस्वरूप गोयल मैसर्स जितेन्द्र एण्ड कम्पनी कटला चौराहा टोडारायसिंह जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स एस.के. फूड्स टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त लाल मिर्च पाउडर क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स एस.के. फूड्स टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जो आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुए। इस पर आवेदक ने मैसर्स एस.के. फूड्स टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर राज. के प्रोपरायटर/पार्टनर/नॉमिनी के नाम व पते चाहने हेतु श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी वृत्त प्रथम एफ सीटीओ जयपुर को पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स एस.के. फूड्स टिक्कीवालों का रास्ता किशनपोल बाजार जयपुर राज. का प्रोपरायटर श्री सुनील कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री राम प्रताप होना पाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/3636 दिनांक 15.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./430/एक्ट /2016/478 दिनांक 04.08.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया।



अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 26.11.2021 को श्री तुलसीराम चांवला एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया लाल मिर्च पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/- (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज 24.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धानका)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं  
न्याय निरीक्षण अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज०